

गृह (गु-9) विभाग

राजस्थान सरकार, जयपुर

1645

20/6/18

राजस्थान सरकार  
गृह (गुप-9) विभाग

क्रमांक: प.16(3)गृह-9/2018

जयपुर, दिनांक:-

15 JUN 2018

### अधिसूचना

यतः राज्य सरकार यह समझती है कि भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के ग्राम रवांजना चौड़, एवं ग्राम बाडोलास तहसील सवाईमाधोपुर एवं ग्राम चूली, तहसील गंगापुर सिटी एवं ग्राम चकबिलोली तहसील मलारना डूंगर में स्थित संस्थानों को जिसके क्षेत्रों का विवरण नीचे वर्णित है, से संबंधित जानकारी या उसका विनाश या उसमें बाधा या इसमें हस्तक्षेप शत्रु को उपयोगी होगा।

इसलिए अब राज्य सरकार एतद्वारा शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 (1923 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 19) की धारा 2 के खण्ड (8) के उप-खण्ड (घ) सपठित भारत सरकार के गृह मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 21/20/62 पोल (I) दिनांक 04.05.1963 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के ग्राम रवांजना चौड़, एवं ग्राम बाडोलास तहसील सवाईमाधोपुर एवं ग्राम चूली, तहसील गंगापुर सिटी एवं ग्राम चकबिलोली तहसील मलारना डूंगर में स्थित संस्थानों के स्टेशनों को उक्त अधिनियम के तहत सुरक्षा की दृष्टि से निम्नांकित सीमाओं वाले क्षेत्र को प्रतिषिद्ध स्थान घोषित करती है।

### क्षेत्र का विवरण

| क. स. | नाम तहसील    | ग्राम        | भूमि ख.नं.          | रकबा         | उत्तर                  | दक्षिण                                         | पूर्व                  | पश्चिम                         |
|-------|--------------|--------------|---------------------|--------------|------------------------|------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------|
| 1.    | सवाईमाधोपुर  | रवांजना चौड़ | 5394/5121           | 0.26         | ख.न. 2186<br>रकबा 0.85 | ख.न. 2188<br>रकबा 0.52                         | ख.न. 2187<br>रकबा 0.46 | ख.न. 2066<br>रकबा 3.85         |
| 2.    | सवाईमाधोपुर  | बाडोलास      | 1962, 1964,<br>1967 |              | ख.न.<br>1962/2367      | ख.नं.<br>1967/2369                             | ख.नं. 1966             | ख.न. 1961                      |
| 3.    | गंगापुर सिटी | चूली         | 2348/1010           | 0.26         | ख.न. 1009<br>रकबा 0.93 | रास्ता सडक<br>चूली                             | ख.न. 1011<br>रकबा 1.30 | ख.न.<br>2293/1010<br>रकबा 0.20 |
| 4.    | मलारना डूंगर | चकबिलोली     | 211<br>468/210      | 0.40<br>0.28 | 209                    | पुख्ता रोड<br>मलारना डूंगर से<br>मलारना स्टेशन | कृषि भूमि<br>खातेदार   | 467/211                        |

राज्यपाल की आज्ञा से,

(चेतन देवड़ा)

शासन संयुक्त सचिव

प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान जयपुर।
3. जिला कलक्टर, सवाईमाधोपुर।
4. निदेशक, लेखन सामग्री एवं मुद्रणालय, राजस्थान जयपुर दिनांक..... के असाधारण राजपत्र में प्रकाशनार्थ मय सी.डी.।
5. महाप्रबंधक, भारत पेट्रोलियम कार्पो० लि० मुम्बई मनमाड बिजवासन पाईपलाईन बल्क आयल डिपों, ग्राम धौरमुई-जघीना, मथुरा रोड, भरतपुर-321025।
6. उप शासन सचिव गृह गुप-6 विभाग।
7. रक्षित पत्रावली।

15 JUN 2018

शासन संयुक्त सचिव  
गृह (आपदा प्रबन्धन) विभाग